



**बिहार सरकार**  
**अनुमण्डल कार्यालय, महाराजगंज**

दूरभाष-06153-243491(कार्यालय)  
मोबाईल नं0-9473191276  
E-mail:-sdo.maharajganj@gmail.com

**अनिता सिन्हा (बि0प्र0से0), अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अनुमण्डल कार्यालय, महाराजगंज के सभा-कक्ष में नगर पंचायत, महाराजगंज के परिसीमन, पुनःविचार एवं संशोधन को लेकर आयोजित दावा-आपति की बैठक की कार्यवाही :-**

**उपस्थिति :-**

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज।
2. अवर निर्वाचन पदाधिकारी, महाराजगंज।
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महाराजगंज।
4. अंचल अधिकारी, महाराजगंज।  
एवं परिवादी गण।

**आपति का विवरण :-**

क्रमांक	आपतिकर्ता का नाम एवं पता	आपति का विषय	निष्कर्ष
1-	श्री रविशंकर सिंह, ग्राम कपिया जागीर, पो0+थाना महाराजगंज।	वार्ड-8 के भौगोलिक सीमा के निर्धारण के संबंध में।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-12 की परिसीमन में आंशिक बदलाव किया जाए। परिसीमन में बदलाव के उपरान्त जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा। ग्रामीणों की सहमति से जगदीशपुर को कपिया जागीर से अलग किया गया। <b>वार्ड-10 की नयी चौहद्दी:-</b> उ0-चेंवर चीनी मिल से बाल बंगरा गांव के दक्षिणी सीमा भिखारी पुर मोड़ तक। द0-इन्दौली मोड़ से रूकुन्दीपुर के सीमा तक। पू0-भिखारीपुर मोड़ से रूकुन्दीपुर सीमा तक। प0-इन्दौली मोड़ से जगदीशपुर रूकुन्दीपुर सीमा तक।
2-	श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, ग्रा0+पो0 पसनौली, महाराजगंज।	वार्ड-12/16 के सीमा एवं जनसंख्या के संबंध में।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-15 की परिसीमन में भौगोलिक चौहद्दी की आंशिक बदलाव किया जाए। भौगोलिक चौहद्दी में आंशिक बदलाव होने के उपरान्त जनसंख्या में भी आंशिक बदलाव होगा। वार्ड निर्धारण के उपरान्त संबंधित मतदान केन्द्र पर मतदान होगा। <b>वार्ड-15 की नयी चौहद्दी:-</b> उ0-महाराजगंज दरौंदा नहर पुल से रेलवे नहर तक। द0-नवलपुर गाँव की उत्तरी सीमा। पू0-रेलवे नहर पुल से रेलवे लाईन होते हुए नवलपुर गाँव के सीमा तक। प0-महाराजगंज दरौंदा नहर पुल से शिव कुमार सिंह के दुकान तक (नवलपुर सीमा)।
3-	श्री आनन्द कुमार सिंह, ग्रा0 कपिया जागीर, महाराजगंज।	वार्ड-12 की भौगोलिक चौहद्दी, जनसंख्या एवं जगदीशपुर ग्राम को अलग करने के संबंध में।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-12 की परिसीमन में आंशिक बदलाव किया जाए। परिसीमन में बदलाव के उपरान्त जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा। ग्रामीणों की सहमति से जगदीशपुर को कपिया जागीर से अलग किया गया। <b>वार्ड-10 की नयी चौहद्दी:-</b> उ0-चेंवर चीनी मिल से बाल बंगरा गांव के दक्षिणी

*(Handwritten signature)*

			<p>सीमा गिखारी पुर मोड़ तक।  द0-इन्दौली मोड़ से रुकुन्दीपुर के सीमा तक।  पू0-गिखारीपुर मोड़ से रुकुन्दीपुर सीमा तक।  प0-इन्दौली मोड़ से जगदीशपुर रुकुन्दीपुर सीमा तक।</p>
4-	श्री रामेश्वर कुमार एवं अन्य ग्रामीण, वार्ड-5, महाराजगंज।	वार्ड-5/1 के सीमांकन एवं भौगोलिक चौहट्टी के निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-7 के परिसीमन में आंशिक बदलाव होगा है। आंशिक बदलाव के फलस्वरूप जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा।</p> <p><b>वार्ड-7 की नयी चौहट्टी:-</b>  उ0-बाटा मोड़ से अशोक इलेक्ट्रिक के सामने से राजेन्द्र चौक तक।  द0-राजेश जी मकान से नारा होते हुए सियाराम चौधरी के मकान तक।  पू0-सियाराम चौधरी के मकान से लालबाबु प्रसाद मोहन बाजार गौंझी बरौली पथ होते हुए राजेन्द्र चौक तक।  प0-राजेश जी के मकान से बाटा मोड़ होते हुए भृगुन सिंह के मकान होते हुए राजेन्द्र चौक तक।</p>
5-	श्री नवलाख प्रसाद एवं अन्य ग्रामीण वार्ड नं0-5, महाराजगंज।	वार्ड-5 के सीमांकन एवं भौगोलिक चौहट्टी के निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-7 के परिसीमन में आंशिक बदलाव होना है। आंशिक बदलाव के फलस्वरूप जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा। परिसीमन के समय पूर्व के सभी वार्ड शून्य हो जाते हैं एवं शून्य मानकर नए वार्ड का गठन किया जाता है।</p> <p><b>वार्ड-7 की नयी चौहट्टी:-</b>  उ0-बाटा मोड़ से अशोक इलेक्ट्रिक के सामने से राजेन्द्र चौक तक।  द0-राजेश जी मकान से नारा होते हुए सियाराम चौधरी के मकान तक।  पू0-सियाराम चौधरी के मकान से लालबाबु प्रसाद मोहन बाजार गौंझी बरौली पथ होते हुए राजेन्द्र चौक तक।  प0-राजेश जी के मकान से बाटा मोड़ होते हुए भृगुन सिंह के मकान होते हुए राजेन्द्र चौक तक।</p>
6-	श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता, मु0 सिहौता बाजार, महाराजगंज।	भौगोलिक सीमा एवं जनसंख्या के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-7 के परिसीमन में आंशिक बदलाव होना है। आंशिक बदलाव के फलस्वरूप जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा। परिसीमन के समय पूर्व के सभी वार्ड शून्य हो जाते हैं एवं शून्य मानकर नए वार्ड का गठन किया जाता है।</p> <p><b>वार्ड-7 की नयी चौहट्टी:-</b>  उ0-बाटा मोड़ से अशोक इलेक्ट्रिक के सामने से राजेन्द्र चौक तक।  द0-राजेश जी मकान से नारा होते हुए सियाराम चौधरी के मकान तक।  पू0-सियाराम चौधरी के मकान से लालबाबु प्रसाद मोहन बाजार गौंझी बरौली पथ होते हुए राजेन्द्र चौक तक।  प0-राजेश जी के मकान से बाटा मोड़ होते हुए भृगुन सिंह के मकान होते हुए राजेन्द्र चौक तक।</p>
7-	श्री राजेश कुमार, मु0 मोहन बाजार, वार्ड-6, महाराजगंज।	जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-8 के परिसीमन में आंशिक बदलाव होने से जनसंख्या में भी बदलाव होगा।</p>

✍

			<p><b>वार्ड-8 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-रामलखन चौक से गोरख सिंह कॉलेज होते हुए रेलवे लाईन अण्डरपास तक।  द0-नखास चौक से रेलवे ढाला तक।  पू0-रेलवे ढाला से बंगरा रेलवे अण्डरपास तक।  प0-नखास चौक से मौंड़ी बरौली पथ होते हुए रामलखन चौक तक।</p>
8-	श्री सेराज आलम एवं अन्य, ग्रा0 रामापाली, महाराजगंज।	एस0सी0/एस0टी0 की जनसंख्या एवं चौहद्दी के निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-17 की चौहद्दी में आंशिक परिवर्तन किया जाना है। आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप एस0सी0 /एस0टी0 की जनसंख्या में बदलाव होगा।</p> <p><b>वार्ड-17 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-रामापाली रेलवे ढाला अवधेश यादव के मकान से दक्षिण चेंवर होते हुए ललन भगत के घर से कुमार घिमनी तक।  द0-दरौंदा प्रखण्ड के ग्राम अमुई की सीमा तक।  पू0-रामापाली रेलवे लाईन के ढाला से काली स्थान के पीछे बीच वाले चेंवर से अमुई सीमा तक।  प0-घिमनी से अमुई सीमा तक।</p>
9-	श्री मुकेश कुमार, ग्रा0+पो0 पसनौली, महाराजगंज।	वार्ड-12/16 के चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-15 की परिसीमन में भौगोलिक चौहद्दी की आंशिक बदलाव किया जाए। भौगोलिक चौहद्दी में आंशिक बदलाव होने के उपरान्त जनसंख्या में भी आंशिक बदलाव होगा। वार्ड निर्धारण के उपरान्त संबंधित मतदान केन्द्र पर मतदान होगा।</p> <p><b>वार्ड-15 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-महाराजगंज दरौंदा नहर पुल से रेलवे नहर तक।  द0-नवलपुर गाँव की उत्तरी सीमा।  पू0-रेलवे नहर पुल से रेलवे लाईन होते हुए नवलपुर गाँव के सीमा तक।  प0-महाराजगंज दरौंदा नहर पुल से शिव कुमार सिंह के दुकान तक (नवलपुर सीमा)।</p>
10-	श्रीमती ललिता देवी, वार्ड पार्शद-12, ग्रा0 रामापाली, महाराजगंज।	वार्ड-12/16 के चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-15 की परिसीमन में भौगोलिक चौहद्दी की आंशिक बदलाव किया जाए। भौगोलिक चौहद्दी में आंशिक बदलाव होने के उपरान्त जनसंख्या में भी आंशिक बदलाव होगा। वार्ड निर्धारण के उपरान्त संबंधित मतदान केन्द्र पर मतदान होगा। नए परिसीमन में पूर्व के सभी वार्ड शून्य हो जाते हैं।</p> <p><b>वार्ड-15 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-महाराजगंज दरौंदा नहर पुल से रेलवे नहर तक।  द0-नवलपुर गाँव की उत्तरी सीमा।  पू0-रेलवे नहर पुल से रेलवे लाईन होते हुए नवलपुर गाँव के सीमा तक।  प0-महाराजगंज दरौंदा नहर पुल से शिव कुमार सिंह के दुकान तक (नवलपुर सीमा)।</p>
11-	श्रीमती मुन्ती देवी एवं अन्य, ग्रा0 रामापाली, महाराजगंज।	वार्ड-13/16 की चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-16 की भौगोलिक सीमा में आंशिक परिवर्तन किया जाना है। आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा।</p> <p><b>वार्ड-16 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-रेलवे नहर पुल से जरती माई के पीछे साईफन</p>

			<p>पुलिया तक।  द0-ऑगनवाड़ी सेन्टर से चिमनी होते हुए चेंवर होकर रामपाली रेलवे ढाला तक।  पू0-साईफन पुलिया से चेंवर होते हुए दक्षिण कटवार धोबहीं पोखरा से ऑगनवाड़ी सेन्टर तक।  प0-रामपाली रेलवे नहर पुल से रामपाली रेलवे ढाला तक।</p>
12-	श्रीमती कमलावती देवी, ग्रा0 सिहौता बाजार, महाराजगंज।	भौगोलिक चौहद्दी, जनसंख्या निर्धारण एवं नजरी नक्शा के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-7 के परिसीमन में आंशिक बदलाव होना है। आंशिक बदलाव के फलस्वरूप जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा।  <b>वार्ड-7 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-बाटा मोड़ से अशोक इलेक्ट्रिक के सामने से राजेन्द्र चौक तक।  द0-राजेश जी मकान से नारा होते हुए सियाराम चौधरी के मकान तक।  पू0-सियाराम चौधरी के मकान से लालबाबु प्रसाद मोहन बाजार मॉझी बरौली पथ होते हुए राजेन्द्र चौक तक।  प0-राजेश जी के मकान से बाटा मोड़ होते हुए भृगुन सिंह के मकान होते हुए राजेन्द्र चौक तक।</p>
13-	श्री दिवाकर देवर्षि, पुरानी बाजार, महाराजगंज।	भौगोलिक चौहद्दी, जनसंख्या एवं वार्ड सं0 के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-5 के परिसीमन में आंशिक बदलाव होने के फलस्वरूप एस0सी0/एस0टी0 की जनसंख्या में भी परिवर्तन होगा। नए परिसीमन में पूर्व के वार्ड शून्य हो जाते हैं।  <b>वार्ड-5 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-शिव मंदिर से कर्पूरी पथ के नाला से नखास चौक से रेलवे लाईन ढाला।  द0-कर्पूरी पथ नोनिया डीह चारमुहानी से बड़ी मस्जिद कुम्हार पट्टी होते हुए रेलवे लाईन तक।  पू0-रेलवे पुल के उतर रेलवे ढाला तक।  प0-नोनियाडीह चारमुहानी से पवन जी के मकान से शिवमन्दिर होते हुए कर्पूरी पुल के पास विनोद प्रसाद के मकान तक।</p>
14-	श्री संजय कुमार सिंह एवं श्रीमती अर्चना सिंह एवं अन्य, ग्रा0 इन्दौली, महाराजगंज।	भौगोलिक सीमा एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-13 की भौगोलिक चौहद्दी में आंशिक बदलाव हुआ है फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा।  <b>वार्ड-12 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-रेलवे ढाला से मॉझी बरौली पथ से प्रा0वि0 इन्दौली तक।  द0-रेलवे नहर ढाला से धनौता पुलिया तक।  पू0-प्राथमिक विद्यालय इन्दौली से धनौता नहर पुलिया तक।  प0-रेलवे ढाला से लेकर नहर रेलवे ढाला तक।</p>
15-	श्री विरेन्द्र यादव, ग्रा0 रामापाली, वार्ड-13, महाराजगंज।	वार्ड-13/16 की चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-16 की भौगोलिक सीमा में आंशिक परिवर्तन किया जाना है। आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा।  <b>वार्ड-16 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-रेलवे नहर पुल से जरती माई के पीछे साईफन पुलिया तक।</p>

			<p>द0-ऑगनवाड़ी सेन्टर से चिमनी होते हुए चेंबर होकर रामपाली रेलवे ढाला तक।  पू0-साईफन पुलिया से चेंबर होते हुए दक्षिण कटवार धोवहीं पोखरा से ऑगनवाड़ी सेन्टर तक।  प0-रामपाली रेलवे नहर पुल से रामपाली रेलवे ढाला तक।</p>
16-	श्री सत्येन्द्र यादव, ग्रा0 रामपाली, वार्ड-13, महाराजगंज।	वार्ड-13/16 की चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-16 की भौगोलिक सीमा में आंशिक परिवर्तन किया जाना है। आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा।  <b>वार्ड-16 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-रेलवे नहर पुल से जरती माई के पीछे साईफन पुलिया तक।  द0-ऑगनवाड़ी सेन्टर से चिमनी होते हुए चेंबर होकर रामपाली रेलवे ढाला तक।  पू0-साईफन पुलिया से चेंबर होते हुए दक्षिण कटवार धोवहीं पोखरा से ऑगनवाड़ी सेन्टर तक।  प0-रामपाली रेलवे नहर पुल से रामपाली रेलवे ढाला तक।</p>
17-	श्री संजय सिंह, ग्रा0 कपिया निजामत, पो0+थाना महाराजगंज।	भौगोलिक चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-9 की भौगोलिक सीमा में आंशिक परिवर्तन किया जाना है। आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा।  <b>वार्ड-9 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प से डॉ0 राजेश गुप्ता के क्लीनिक तक।  द0-रेलवे ढाला से इन्दौली मोड़ तक।  पू0-डॉ0 राजेश गुप्ता से चीनी मिल होकर इन्दौली मोड़ तक।  प0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प होते हुए रेलवे ढाला तक।</p>
18-	श्री लालदेव सिंह, ग्रा0 कपिया निजामत, पो0+थाना महाराजगंज।	भौगोलिक चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-9 की भौगोलिक सीमा में आंशिक परिवर्तन किया जाना है। आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा।  <b>वार्ड-9 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प से डॉ0 राजेश गुप्ता के क्लीनिक तक।  द0-रेलवे ढाला से इन्दौली मोड़ तक।  पू0-डॉ0 राजेश गुप्ता से चीनी मिल होकर इन्दौली मोड़ तक।  प0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प होते हुए रेलवे ढाला तक।</p>
19-	म0 आरिफ एवं अन्य ग्रामीण जनता, ग्रा0 धनछुहॉ, पो0+थाना महाराजगंज।	वार्ड-1 के पूर्वी भाग के चौहद्दी निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-1 के पूर्वी दिशा की चौहद्दी में नहर कर दिया गया है।  <b>वार्ड-1 की नयी चौहद्दी:-</b>  उ0-बोधा छपरा।  द0-भाउछपरा  पू0-गंडक नहर  प0-सवान विग्रह।</p>
20-	श्री शशिकान्त तिवारी, ग्रा0 कपिया जागीर, वार्ड-8, महाराजगंज।	भौगोलिक चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-10 के भौगोलिक</p>



			<p>चौहट्टी में आंशिक परिवर्तन होगा। फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा।</p> <p><b>वार्ड-10 की नयी चौहट्टी:-</b>  उ0-चेंवर चीनी मिल से बाल बंगरा गांव के दक्षिणी सीमा भिखारी पुर मोड़ तक।  द0-इन्दौली मोड़ से रूकुन्दीपुर के सीमा तक।  पू0-भिखारीपुर मोड़ से रूकुन्दीपुर सीमा तक।  प0-इन्दौली मोड़ से जगदीशपुर रूकुन्दीपुर सीमा तक।</p>
21-	श्री प्रकाश कुमार, पिता बांकेलाल प्रसाद, पुरानी बाजार, महाराजगंज।	स्पष्ट चौहट्टी दिखाने एवं निजी जमीन को चौहट्टी को नहीं रखने के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जांच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-13 की चौहट्टी में आंशिक सुधार किया गया है फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा तथा स्पष्ट रूप से चौहट्टी दर्शा दिया गया है।</p> <p><b>वार्ड-13 की नयी चौहट्टी:-</b>  उ0-महाराजगंज दरौदा पथ जरती माई गेट से कर्पुरी पथ बडी मस्जिद कुम्हार पट्टी होते हुए रेलवे लाईन तक।  द0-महाराजगंज दरौदा नहर पुल से रेलवे नहर पुल तक।  पू0-रेलवे लाइन के उतर से रेलवे नहर तक  प0-महाराजगंज दरौदा पथ जरती माई गेट से महाराजगंज दरौदा नहर पुल तक।</p>
22-	श्रीमती गुडिया कुमारी, उपमुख्य पार्षद, पुरानी बाजार, महाराजगंज।	वार्ड की चौहट्टी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जांच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड-4 की चौहट्टी में आंशिक सुधार किया गया है फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा तथा स्पष्ट रूप से चौहट्टी दर्शा दिया गया है। नए परिसीमन में पूर्व का वार्ड शून्य होने पर पुनः 1 (एक) से गणना की जाती है।</p> <p><b>वार्ड-4 की नयी चौहट्टी:-</b>  उ0-उमाशंकर मूर्ति पथ से पकवा इनार होते हुए विनोद प्रसाद के मकान के कोना (नखास चौक) तक।  द0-कर्पुरी मूर्ति कर्पुरी पथ से असर्फी लाल प्रसाद के दलान तक।  पू0-असर्फी लाल के दलान से नोनिया डीह होते हुए पवन जी के मकान से शिव मन्दिर होते हुए कर्पुरी पथ तक (नखास चौक)।  प0-कर्पुरी मूर्ति से उमाशंकर पथ मूर्ति तक।</p>
23-	श्रीमती शारदा देवी, मुख्य पार्षद, काजी बाजार, महाराजगंज।	चौहट्टी का निर्धारण एवं जनसंख्या के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जांच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड की चौहट्टी में आंशिक सुधार किया गया है फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा तथा स्पष्ट रूप से चौहट्टी दर्शा दिया गया है। नए परिसीमन में पूर्व का वार्ड शून्य हो जाता है एवं 1 (एक) से गणना की जाती है।</p>
24-	श्रीमती चम्पा देवी, वार्ड 4, नगर पंचायत, महाराजगंज।	चौहट्टी का निर्धारण एवं जनसंख्या के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जांच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड की चौहट्टी में आंशिक सुधार किया गया है फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा तथा स्पष्ट रूप से चौहट्टी दर्शा दिया गया है। नए परिसीमन में पूर्व का वार्ड शून्य हो जाता है एवं 1 (एक) से गणना की जाती है।</p> <p><b>वार्ड-6 की नयी चौहट्टी:-</b>  उ0-जगनारायण सिंह के मकान से सुनिल साईकिल के मकान तक।</p>



			<p>द0-उमाशंकर प्रसाद मूर्ति से उमाशंकर पथ होते हुए नखारा चौक तक।</p> <p>पू0-नखारा चौक से सुनिल साईकिल दुकान तक (गांडी/बरीली पथ)।</p> <p>प0-जगनारायण सिंह के मकान से (महाराजगंज दरौदा पथ) उमाशंकर प्रसाद के मूर्ति तक।</p>
25-	श्री अवधेश कुमार, वार्ड सं0-7, नगर पंचायत, महाराजगंज।	चौहद्दी का निर्धारण, जनसंख्या एवं मतदान केन्द्र के निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड की चौहद्दी में आंशिक सुधार किया गया है फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा तथा स्पष्ट रूप से चौहद्दी दर्शा दिया गया है। नए परिसीमन में पूर्व का वार्ड शून्य हो जाता है एवं 1 (एक) से गणना की जाती है।</p> <p><b>वार्ड-9 की नयी चौहद्दी:-</b></p> <p>उ0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प से डॉ0 राजेश गुप्ता के क्लीनिक तक।</p> <p>द0-रेलवे ढाला से इन्दौली मोड़ तक।</p> <p>पु0-डॉ0 राजेश गुप्ता से चीनी मिल होकर इन्दौली मोड़ तक।</p> <p>प0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प होते हुए रेलवे ढाला तक।</p>
26-	श्री सुग्रीव साह, महाराजगंज।	भौगोलिक चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड की चौहद्दी में आंशिक सुधार किया गया है फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा तथा स्पष्ट रूप से चौहद्दी दर्शा दिया गया है। नए परिसीमन में पूर्व का वार्ड शून्य हो जाता है एवं 1 (एक) से गणना की जाती है।</p> <p><b>वार्ड-9 की नयी चौहद्दी:-</b></p> <p>उ0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प से डॉ0 राजेश गुप्ता के क्लीनिक तक।</p> <p>द0-रेलवे ढाला से इन्दौली मोड़ तक।</p> <p>पु0-डॉ0 राजेश गुप्ता से चीनी मिल होकर इन्दौली मोड़ तक।</p> <p>प0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प होते हुए रेलवे ढाला तक।</p>
27-	श्री दीपनारायण सिंह, महाराजगंज।	भौगोलिक चौहद्दी एवं जनसंख्या निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, महाराजगंज द्वारा स्थलीय जॉच के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि नवगठित वार्ड की चौहद्दी में आंशिक सुधार किया गया है फलस्वरूप जनसंख्या में भी बदलाव होगा तथा स्पष्ट रूप से चौहद्दी दर्शा दिया गया है। नए परिसीमन में पूर्व का वार्ड शून्य हो जाता है एवं 1 (एक) से गणना की जाती है।</p> <p><b>वार्ड-9 की नयी चौहद्दी:-</b></p> <p>उ0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प से डॉ0 राजेश गुप्ता के क्लीनिक तक।</p> <p>द0-रेलवे ढाला से इन्दौली मोड़ तक।</p> <p>पु0-डॉ0 राजेश गुप्ता से चीनी मिल होकर इन्दौली मोड़ तक।</p> <p>प0-रेलवे ढाला पेट्रोल पम्प होते हुए रेलवे ढाला तक।</p>

संबंधित आपतिकर्ता को उनके द्वारा दिए गए आपति के आलोक में जॉचोपरान्त निष्कर्ष के बारे में सभी आपतिकर्ता को अवगत कराया गया जिससे सभी आपतिकर्ता सहमत हुए।

अंत में आपति का निराकरण से संबंधित बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

16/6/25  
 अनुमण्डल पदाधिकारी,  
 महाराजगंज।

ज्ञापांक ..... ४४२ ..... / दिनांक २०-६-२०२५

प्रतिलिपि:-सभी आपतिकर्ता, नगर पंचायत, महाराजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सिवान की सेवा में सादर समर्पित।

  
16/6/25  
अनुमण्डल पदाधिकारी,  
महाराजगंज।